

(भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2022

का.आ. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री थॉमस एम. देवासिया, तकनीकी विशेषज्ञ-वृहत जोखिम (ऊर्जा और अवसंरचना-तटीय और अपतटीय) मार्श इंश्योरेंस ब्रोकर्स इंडिया, कोच्चि, केरल को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, चार लाख रुपए प्रतिमाह (आवास और कार की सुविधा के बिना) के समेकित वेतन पैकेज पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक सदस्य (गैर-जीवन) के पद पर नियुक्त करती है।

(फा.सं. आर-16011/01/2021-बीमा-I)

सुरजीत

(सुरजीत कार्तिकेयन)
उप सचिव, भारत सरकार